भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3743
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बीएनएसएस के अंतर्गत ई-एफ़आईआर

3743. श्री तनुज पुनिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत देश में ई-एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या विधिक समय-सीमा और अनिवार्य नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ई-एफआईआर दर्ज करने और पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के औपचारिक हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उसे जारी करने के लिए तीन दिन की समय-सीमा विनिर्दिष्ट करने वाले नियम को सभी राज्यों में कड़ाई से लागू किया जा रहा है; और

(ग) क्या यदि शिकायतकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाता है तो ई-एफआईआर रद्द कर दी जाती है और क्या जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य डिजिटल विकल्प उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 173 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, अपराध के घटित होने के स्थान की परवाह किए बिना, किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है तथा यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, तो प्रभारी अधिकारी द्वारा उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा इस पर हस्ताक्षर

किए जाएंगे। यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जाती है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत, संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे रिकार्ड में दर्ज करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक-प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना को रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए यह आवश्यक है कि सूचना देने वाला व्यक्ति निर्धारित तीन दिनों की अवधि के भीतर उस पर हस्ताक्षर करे।
